बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

आदेश

संचिका संख्या–01–(स्था०)–सू०प्रा०–68/2023................. पटना, दिनांक ....

बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ कार्यालयों/संस्थानों आदि में अधियाचना के विरूद्ध आउटसोर्स के आधार पर मैनपावर यथाः– प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी०ब्यॉय/गर्ल की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अधियाचित कार्यालयों द्वारा कतिपय कारणों से ऐसे मैनपावर की सेवाएँ बेल्ट्रॉन को वापस कर दी जाती है, जिसके कारण उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में नैसर्गिक न्याय को दृष्टिगत रखते हुए सेवा वापस किये गये मैनपावर के द्वारा अपील दायर किये जाने के संबंध में निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं :–

क्र०	कार्यालय का नाम	सेवा वापसी की स्थिति में अपीलीय प्रावधान	अपीलीय प्राधिकार
1. (i)	जिला/ अनुमंडल/ प्रखण्ड/अंचल/ पंचायत स्तरीय कार्यालय	जिला पदाधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से आऊटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराये गये मैनपावर यथा–प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल की सेवा वापसी के पश्चात संबधित Manpower के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा।	जिला पदाधिकारी
(ii)	जिला पदाधिकारी का कार्यालय	सेवा प्रदाता के माध्यम से आऊटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराये गये मैनपावर यथा–प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल की सेवा जिला पदाधिकारी के आदेश से वापस किये जाने के पश्चात संबधित Manpower के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा।	प्रमण्डलीय आयुक्त
2. (i)	प्रमंडल स्तरीय कार्यालय	प्रमंडल स्तरीय कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से आऊटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराये गये मैनपावर यथा–प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल की सेवा वापसी के पश्चात संबधित Manpower के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा	प्रमण्डलीय आयुक्त
(ii)	प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय	सेवा प्रदाता के माध्यम से आऊटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराये गये मैनपावर यथा–प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल की सेवा प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश से वापस किये जाने के पश्चात संबधित Manpower के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा।	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
3. (i)	जिला/ अनुमंडल/ प्रखण्ड/अंचल स्तरीय पुलिस कार्यालय	जिला पुलिस अधीक्षक के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से आऊटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराये गये मैनपावर यथा–प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल की सेवा वापसी के पश्चात उनके द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा।	जिला पुलिस अधीक्षक
(ii)	जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक का कार्यालय	सेवा प्रदाता के माध्यम से आऊटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराये गये मैनपावर यथा–प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल की सेवा जिला पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप महानिरीक्षक के आदेश से वापस किये जाने के पश्चात संबधित Manpower के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा।	संबंधित प्रक्षेत्र का पुलिस महानिरीक्षक

(iii)	पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय	सेवा प्रदाता के माध्यम से आऊटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराये गये मैनपावर यथा–प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल की सेवा पुलिस महानिरीक्षक के आदेश से वापस किये जाने के पश्चात संबधित Manpower के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा।	पुलिस महानिदेशक के द्वारा नामित वरीय पुलिस पदाधिकारी
4.	विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्राधीन /निगम/बोर्ड/ आयोग/ सोसाइटी इत्यादि	विभिन्न विभागों के प्रशासनिक नियंत्राधीन सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराये गये मैनपावर यथा–प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल की सेवा निगम/बोर्ड/आयोग/ सोसाइटी इत्यादि के प्रबंध निदेशक/अध्यक्ष के आदेश से वापस की जाती है, तो संबधित Manpower के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा।	संबंधित प्रशासी विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा नामित वरीय पदाधिकारी
5.	राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय सचिवालय कार्यालय/ पुलिस महानिदेशक का कार्यालय	राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सचिवालय स्थित मुख्यालय कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्स के आधार पर उपलब्ध कराये गये मैनपावर यथा–प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर एवं आई०टी० ब्यॉय/गर्ल की सेवा विभागाध्यक्ष के आदेश से वापस की जाती है, तो संबधित Manpower के द्वारा पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकेगा।	अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।

नोट :– अपील का प्रावधान वैसे संविदागत कर्मियों पर लागू नहीं होगा, जिनपर सीधे रूप से निम्नांकित गंभीर आरोप लगा हो :–

(1) भ्रष्टाचार में संलिप्तता :– रिश्वत लेने से जुड़ा मामला हो यथा–निगरानी/आर्थिक अपराध इकाई तथा अधियाचित कार्यालय द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया हो ;

(2) जिनके विरूद्ध सेवा से संबंधित अपराधिक मामलों में मुकदमा दर्ज किया हो और उन्हें गिरफ्तार किया गया हो ;

(3) जिन्हें न्यायालय द्वारा किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो।

ह०/–
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः 01–(स्था०)–सू०प्रा०–68/2023....1800 पटना, दिनांक 08/9/25

प्रतिलिपिः सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिलाधिकारी/निबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव का कार्यालय, बिहार, पटना/अनुमंडलाधिकारी/सभी कोषागार/उपकोषागार को सूचनार्थ प्रेषित।

5/9/25

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव